न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 03 सन 2021

अनवान :–

1. प्रेमचन्द पुत्र चौधरीराम जाति कम्बोजसिख दडबी तहसील सिरसा हरियाणा।

सायल

बनाम

1. प्रेमप्रकाश पुत्र हरनामचन्द जाति कम्मोसिख निवासी सजराना तहसील फाजिल्का हाल मोडिया खेडा तहसील व जिला सिरसा
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता सायल
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 01/10/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के ख खाता संख्या 42/40 की कुल 5.3130हैक ,रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 43/41 की कुल 16.6980हैक रोही मौजा चक 23एनटीआर के खाता संख्या 22/20 की कुल 2.5300हैक रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 157/132 की कुल 6.0720हैक भूमि सयुक्त खाते में दर्ज जिसमें सायल एवं गैरसायल एवं दावा दर्ज वादी एंव प्रतिवादीगण का हिस्सा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 के अनुसार दर्ज है।

वादभूमि सयुक्त खाते की है तथा सभी खातेदार सयुक्त खातेदारी भूमि होने के कारण सीव सम्बधी व काश्त सम्बधी विवाद रहता है इसलिये खाता विभाजन मुताबिक हक व हिस्सा व किस्त भूमि के अनुसार करवाना चाहते है।

चौधरीराम, पुनुराम का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान वाद में सायल एवं गैरसायल के तौर पर दर्ज है जिनके हकों की धोषणा करवाने के बाद खाता विभाजन किया जावे।

गैरसायल संख्या 1 बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति है जो अपना हिस्सा बेचान करना चाहता है भूमि सयुक्त तौर से होने के कारण तीनों चकों की भूमि का बेचान कर एक ही चक में कब्जा देना चाहता है यदि अच्छी व एक चक में भूमि का कब्जा करवा देता है तो सायलान का अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये गैरसायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 23 एनटीआर के ख खाता संख्या 42/40 की कुल 5.3130हैक ,रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 43/41 की कुल 16.6980हैक रोही मौजा चक 23एनटीआर के खाता संख्या 22/20 की कुल 2.5300हैक रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 157/132 की कुल 6.0720हैक भूमि को रहन बेय नही करने एवं रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

उतरदाता विवादित भूमि का सहखातेदार काश्तकार है इसलिये खातेदार सहखातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है उतरदाता ना ही अच्छी किस्म की भूमि बेचान करना चाहता है नाही सायल के हक हिस्से को बेचान करने का उदेश्य है गैरसायलान को अपने हक हिस्से की भूमि बेचान करने हेतु पाबन्द नही करवा सकता है सायल किसी प्रकारकी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है उत्तरदाता अपने हक हिस्सा कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने के तैयार है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 23 एनटीआर के ख खाता संख्या 42/40 की कुल 5.3130हैक ,रोही मौजा चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 43/41 की कुल 16. 6980हैक रोही मौजा चक 23एनटीआर के खाता संख्या 22/20 की कुल 2.5300हैक रोही मौजा 25 एनटीआर के खाता संख्या 157/132 की कुल 6.0720हैक भूमि सयुक्त खाते में दर्ज जिसमें सायल एवं गैरसायल एवं दावा दर्ज वादी एंव प्रतिवादीगण का हिस्सा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 के अनुसार दर्ज है।

वादभूमि सयुक्त खाते की है तथा सभी खातेदार सयुक्त खातेदारी भूमि होने के कारण सीव सम्बधी व काश्त सम्बधी विवाद रहता है इसलिये खाता विभाजन मुताबिक हक व हिस्सा व किस्त भूमि के अनुसार करवाना चाहते है।

चौधरीराम, पुनुराम का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान वाद में सायल एवं गैरसायल के तौर पर दर्ज है जिनके हकों की धोषणा करवाने के बाद खाता विभाजन किया जावे।

गैरसायल संख्या 1 बहुत ही तेज तर्रार व्यक्ति है जो अपना हिस्सा बेचान करना चाहता है भूमि सयुक्त तौर से होने के कारण तीनों चकों की भूमि का बेचान कर एक ही चक में कब्जा देना चाहता है यदि अच्छी व एक चक में भूमि का कब्जा करवा देता है तो सायलान का अपूर्णीय क्षति होती है इसलिये गैरसायल को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है।

गैरसायल संख्या 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उतरदाता विवादित भूमि का सहखातेदार काश्तकार है इसलिये खातेदार सहखातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है उतरदाता ना ही अच्छी किस्म की भूमि बेचान करना चाहता है नाही सायल के हक हिस्से को बेचान करने का उदेश्य है गैरसायलान को अपने हक हिस्से की भूमि बेचान करने हेतु पाबन्द नही करवा सकता है सायल किसी प्रकारक ी स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी नहीं है उत्तरदाता अपने हक हिस्सा कब्जा काश्त के अनुसार खाता विभाजन करवाने के तैयार है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया खाता विभाजन का बिन्दु वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है सायल एवं गैरसायलान दोनो मुश्तरका खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण उभयपक्षो के पक्ष में पाया जाता है ।

सायल का कथन है कि गैरसायल अच्छी किस्म की भूमि बेचान चाहता है गैरसायल का कथन है उसका भूमि बेचान करने का कोई इरादा नही है खाता विभाजन करवाने के लिये तैयार है।

सायल एवं गैरसायल दोनो मुश्तरका खातेदार काश्तकार है मुश्तरका खातेदार सयुक्त खाते की भूमि में केवल हिस्से का बेचान कर सकता है किसी विशेष हिस्से का बेचान नही हो सकता है जब बेचान ही हिस्से में होता है तो अच्छी किस्म की भूमि बेचान करने का कथन स्वीकार योग्य नही है।

सायलान मुश्तरका खाते की भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते है जिसके लिये गैरसायल ने जबाब में तत्पर रहना स्वीकार किया है इसलिये जब तक वाद में खाता विभाजन नही हो जाता उभयपक्षों (सायल एवं गैरसायल) को पाबन्द किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु उभयपक्षों के पक्ष में साबित होने के उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि मुश्तरका खाते की भूमि में से किसी विशेष हिस्से का बेचान वाद के निस्तारण तक नही किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर